भा0कृ0अनु0प0—उत्तरी शीतोष्ण क्षेत्रीय केन्द्र
(भा0कृ0अनु0प0—केन्द्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान)
गड़सा, जिला कुल्लू (हि0—प्र0) 175141

F.No.7(70)M/2018/ दिनांक 20-09-2018

<u>निविदा/कुटेशन प्रपत्र</u>

1. निविदा/कुटेशन जमा करने की अन्तिम तिथि एवं समय — दिनांक 04.10.2018 दोपहर 11.00बजे तक
2. निविदा/ कुटेशन खोलने की अन्तिम तिथि एवं समय — ~~दिनांक 04.10.2018 दोपहर बाद 12:00बजे~~
3. अमानत राशी — 2000/— रुपये
4. निविदा /कुटेशन की मान्य अवधि — 120 दिन

मैं /हम केन्द्र में आकस्मिक मांग के आधार निम्नलिखित दरों पर वाहन उपलब्ध करवाने हेतु निम्नलिखित दरें प्रस्तुत कर रहा हूँ 1—आकस्मिक माँग पर वाहन उपलब्ध करवाने की दर :—

AC (Seven seater)		
S. No.	**Description**	**TATA/Scorpio/Bolero/Innova**
1.	Rate per Kilometer (Rs. Per km)	
2.	Minimum charges for 100 km running	
3.	Out Station per night charges	
4.	Vehicle Registration No.	
5	Registration year	

नोट:— लिमिटेड टेण्डर/कुटेशन रजिस्टर्ड फर्म/ट्रैवल एजेन्सी/टेक्सी मालिक द्वारा ही भरी जाना चाहिए एवं आकस्मिक आधार पर उपलब्ध करवाये गये वाहन का मेक वर्ष 2015 या इसके बाद का होना चाहिए ।

मैं/हम निविदा प्रपत्र में दर्शायी गई सभी नियम व शर्तो का पालन करने के लिए वचनबद्ध है। यदि मेरे/हमारे प्रतिनिधियों द्वारा निविदा प्रपत्र में दर्शायी गई सभी शर्तो या किसी आंशिक भाग का पालन नही किया जाता है। तो मेरे/हमारे द्वारा जमा कराई गई/अमानत राशि जब्त करने के लिए सहमत है ।

मैं/हम निविदा प्रपत्र में दर्शायी गई सभी नियम व शर्तों को अच्छी तरह से पढ़ व समझ लिया है। जो हमें पूर्ण रूप से स्वीकार है। तथा उनका पालन करने हेतु सहमत हूँ।

फर्म /टेक्सी मालिक का नाम मय पता ....
पूरा पता ....
पैन नं...
मोबाइल नं..

नियम व शर्तें

1. निविदायें/कुटेशन केन्द्र द्वारा जारी प्रदत्त प्रपत्र पर ही स्वीकार की जाऐगी। निविदायें/कुटेशन सील बन्द लिफाफे में दिनांक 04.10.2018 को 11.00 बजे तक या उससे पूर्व डाक द्वारा या व्यक्तिगत रूप से **प्रशासन** अनुभाग में जमा कराई जा सकती है। इसके पशचात निविदायें/कुटेशन प्राप्त नही किये जायेगे प्राप्त निविदायें/कुटेशन उसी दिन 12.00 बजे केन्द्र द्वारा गठित समिति अथवा अधिकृत अधिकारियों द्वारा खोली जायेगी। जिसमें निविदादाता अथवा उनके प्रतिनिधि उपस्थित हो सकते है। देरी से प्राप्त सशर्त तार,फेक्स इत्यादि द्वारा प्राप्त निविदायें/कुटेश्न स्वीक्रार नहीं किये जायेंगें। देरी से प्राप्त निविदा/कुटेशन के लिए केन्द्र जिम्मेदार नहीं होगा ।
2. निविदाकर्ता को निविदा प्रपत्र के साथ रुपये 2,000/— बतोर अमानत राशि ATM (POS), डिमाड ड्राप्ट/एफ डी आर / के माध्यम से इस केन्द्र के पक्ष मे जो कि CSWRI unit NTRS Garsa के नाम SBI Bhuntar Branch (003633) में देय के रुप में जमा कराना होगा बिना अमानत राशि के कोई भी निविदा स्वीकार नही की जायेगी।
3. वाहन का रजिस्ट्रेशन टी0 न0 (टेक्सी) व आल इन्डिया परमिट होना चाहिए जो कि परिवहन विभाग से किराये पर चलाने के लिए मान्य होना चाहिए। वाहन बीमा शुदा होना चाहिए।
4. आकस्मिक आधार पर उपलब्ध कराने वाले वाहनों का मेक वर्ष 2015 व इसके बाद का होना चाहिए अन्यथा निविदा/कुटेशन प्रथम दृष्टता ही अस्वीकृत कर दी जाऐगी। तथा निविदा/कुटेशन प्रपत्र में अंकित वाहनों के संबंध में ही होनी चाहिए। केन्द्र न्यूनतम दर वाली निविदा/कुटेशन को स्वीकार करने के लिए बाध्य नही होंगे। [illegible] जाऐगी ।
5. आकस्मिक आधार पर ली जाने वाले गाडी का उपयोग हिमाचल प्रदेश राज्य की सीमा में एवं राज्य से बाहर की यात्रा के लिए भी किया जा सकता है।
6. निविदादाता को उनके द्वारा उपलब्ध करवाये जाने वाले वाहनों मे से न्यूनतम एक या अधिक वाहन स्वयं के नाम पंजिकृत होने वाले निविदाता को प्राथमिकता दी जाऐगी। इस संबंध में में प्रमाण पत्र स्वरूप आवश्यक दस्तावेज निविदा/कुटेशरन के सलंगन किये जाये। इस संबंध में गठित समिति/सक्षम अधिकारी महोदय द्वारी लिया गया निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।
7. वाहन के सभी वेध प्रपत्र (बीमा रजिस्ट्रैशन प्रदूषण जाँच, चालक का लाइसेन्स आदि) वाहन के साथ उपलब्ध होने चाहिए तथा इसकी एक प्रति संस्थान कार्यालय/वाहन अनुभाग मे जमा करावानी होगी।
8. वाहन की लॉग बुक चालक के पास रहेगी तथा संबधित अधिकारी से लॉग बुक मे प्रविष्ठियां प्रतिदिन दर्ज करवानी होगी।
9. यात्रा के दौरान वाहन में किसी प्रकार की टूट फूट होने, दुर्घटना होने अथवा कोई जुर्माना होने पर इसकी सम्पूर्ण जवाब देही/जिम्मेदारी वाहन मालिक की होगी । ऐसी दशा में वाहन में यात्रा कर रहें अधिकारियों/कर्मचारियों को गन्तव्य स्थान पर पहुचाने की जिम्मेदारी वाहन मालिक की होगी । वाहन में यात्रा कर रहे अधिकारियों/कर्मचारियों के साथ शालीनता का व्यवहार करना होगा।

10.यात्री विश्राम भत्ता/प्रचार मुख्यालय से प्रस्थान करने के छः घन्टे के पशचात देय होगा। बेशर्ते वाहन का ठहराव रात्रि को मुख्यालय से बाहर हो । लगातार चलती गाडी में रात्रि विश्राम नही दिया जाऐगा।

11.वाहन के रखरखाव व इसको चलाने के लिए आवश्यक डीजल, ऑयल, मरम्मत व सांघरण टोल टेक्स सभी प्रकार के व्यय तथा चालक आदि का समस्त व्यय वाहन मालिक को स्वयं करना होगा। केन्द्र द्वारा निविदा में दर्शायी गई दरों के अतिरिक्त किसी भी प्रकार का देय स्वीकार नही किया जाऐगा।

12.वाहन के दुर्घटनाग्रस्त होने पर वाहन मालिक की जिम्मेदारी होगी एवं परिषद/केन्द्र द्वारा उसका किसी प्रकार का कोई मुआवजा नही दिया जाऐगा।

13.वाहन में लगा माईलोमीटर सील किया हुआ एवं कार्यरत होना आवश्यक है तथा इसे बिना किसी अधिकृत अधिकारी की स्वीकृति के नहीं खोला जावेगा, यदि ऐसा पाया गया ता भूगतान संभव नहीं होगा।

14.यदि वाहन मालिक द्वारा अनुबंन्ध की अवधि से पूर्व अपना वाहन स्वेच्छा से हटाया जा सकता है। तो वाहन मालिक द्वारा एक माह पूर्व लिखित सूचना दी जाऐगी। लेकिन पिछली अवधि में उसका कार्य संतोषजनक पाये जाने के उपरान्त ही उसकी अमानत/जमानत राशि लौटायी जाऐगी।

15.निविदा प्रकिया में सफल रहने पर 7 दिन मे वाहन मालिक द्वारा 100/–रुपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर केन्द्र के साथ अनुबन्ध करना होगा। यदि निर्धारित तिथि तक अनुबंन्ध नही किया जाता है तो उसके द्वारा जमा कराई गयी अमानत/जमानत राशि जब्त कर ली जाऐगी। वाहन मालिक द्वारा 3 प्रतियों में बिल प्रस्तुत करने पर प्रतिमाह उचित समयावधि में बिल का भूगतान नियमनुसार किया जाऐगा।

16.यदि फर्म की सेवायें संतोषप्रद नही पायी जाती है ता अमानत/जमानत राशि जब्त की जा सकती है।

17.यह संविदा अनुबंन्ध आदेश जारी होने की तिथि से एक वर्ष के लिए प्रभावी होगा। दोनों पक्षों की सहमति से अनुबंन्ध की अवधि बढाई जा सकती है।

18.आयकर कटौती तथा केन्द्र सरकार व राज्य सरकार द्वारा लगाये जाने वाले कर/टेक्स की कटौती ठेकेदार के बिल/बिलों में से नियमनुसार की जाऐगी।

19.वाहन के संबंध में किसी प्रकार की अनियमितता या अनुचित आचारण पाये जाने पर तथा फर्म /ठेकेदार की सेवायें संतोषप्रद रूप से नहीं पाये जाने पर केन्द्र तुरन्त प्रभाव से वाहन हटा सकेगा । इस संबंध में केन्द्र द्वारा वाहन मालिक को कोई हर्जाना देय नहीं होगा। वाहन चालक द्वारा दुराचरण या मद्यपान की स्थिति में नियमानुसार कानूनी कार्यवाही की जाऐगी एवं जमानत राशि जब्त करते हुये अनुबन्ध निरस्त किया जा सकता है। जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं वाहन मालिक/फर्म/ठेकेदार की होगी।

20.दरें अकों एवं शब्दों दोनों में लिखि जायेगी। जिसमें किसी प्रकार की त्रुटि अथवा ओवर राईटिंग नही की गई हो। किसी प्रकार के संशोधन/कटिंग या अस्पष्ट लिखी हुई होगी। उस पर लघु हुई होगी। उस पर लघु हस्ताक्षर मय दिनांक करने होगें तथा निविदा प्रपत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर निविदाकर की हस्ताक्षर करने होगें ।

21.समान दरें आने पर नवीनतम वर्ष के मॉडल के वाहन को प्राथमिकता दी जाऐगी।

22. किसी भी विवाद की स्थिति में केन्द्र के समक्ष अधिकारी महोदय द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम व मान्य होगा तथा (विधिक)लीगल वाद में न्यायिक क्षेत्राधिकारी कुल्लू होगा।

23. वाहन एवं वाहन चालक से संबन्धित समस्त विधिक एवं अन्य प्रकार के दायित्वों का निरवाहन निविदादाता/ठेकेदार द्वारा किया जाऐगा।

24. नियोजित वाहन चालक के संबंध में प्रचलित श्रम कानूनों की पालना का उत्तरदायित्व संबंधित फर्म/ठेकेदार का होगा।

25. सफल निविदादाता को उपलब्ध कराये जाने वाले वाहनों के समस्त/स्वत्व हक के प्रमाण स्वरूप पंजीयन प्रमाण –पत्र देय परिवहन विभाग के टेक्स चुका कर रसीद, अनुबन्ध निष्पादन के समय प्रस्तुत करने होंगे।

26. सेवा कर सर्विस टेक्स रजिस्टेशन की प्रमाणित छाया प्रति प्रस्तुत करनी होगी, यदि निविदादाता सेवा कर प्रदाय करने की सीमा में नही आता है तो फर्म के लैटर हैड पर इस आशय की स्वयं के द्वारा घोषण पत्र निविदा पत्र के साथ प्रस्तुत करनी होगी।

27. टेन्डर की वैधता इनको खोलने की तिथि से 120 दिन तक रहेगी। जिस आपूर्तिकर्ता की दरें अनुमोदित की जावेगी। उसे उपलब्ध कराये जाने वाले वाहन की समस्त स्थितियों की सावधनीपूर्वक जॉच कर लेनी चाहिए।

28. फर्म द्वारा राज्य सरकार/केन्द्र सरकार के कार्यालय एवं अन्य प्रतिष्ठित उपकमों से प्रतिबिंधत /ब्लैक लिस्टैड नही होने का प्रमाण पत्र (स्वयं के द्वारा) संलगन किया जाना आवश्यक है।

29. यात्रा के दौरान वाहन में किसी प्रकार की खराबी होने की स्थिति में केन्द्र के अधिकारियों /कर्मचारियों को केन्द्र तक पहुचाने की जिम्मेदारी वाहन मालिक की होगी जिसके लिए कोई अतिरिक्त देय नहीं होगा।

30. यह अनुबंध/संविधा कार्य (Work Contract Basis) कार्य आधार पद्वति पर आवंटित किया जाऐगा। अनुबन्ध समाप्ति के पश्चात् निविदादाता अथवा उसके प्रतिनिधि का केन्द्र से कोई नही रहेगा।

31. किसी भी निविदा को सम्पूर्ण अथवा आंशिक किसी भाग को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार समक्ष अधिकार सक्षम अधिकारी महोदय को सुरक्षित है।

अध्यक्ष

मैं यह प्रमाणित करता हूं कि मैंने निविदा में दर्शायी गई सभी नियम शर्तो को भलीभान्ति व अच्छी तरह से पढ तथा समझ लिया है। मुझे निविदा में दशार्यी गई सभी नियम व शर्ते स्वीकार है। तथा मै इनका पूर्ण रूप से पालन करूगाँ।

हस्ताक्षर निविदा प्रस्तुतकर्ता

नाम.................................

पता.................................

मा0कृ0अनु0प0–उत्तरी शीतोष्ण क्षेत्रीय केन्द्र
(मा0कृ0अनु0प0–केन्द्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान)
मड़सा, जिला कुल्लू (हि0–प्र0) 175141

F.No.7(70)M/2018/ दिनांक 20-9-2018

निविदा/कुटेशन प्रपत्र

1. निविदा /कुटेशन प्राप्त करने की अन्तिम तिथि एवं समय — दिनांक 04.10.2018 दोपहर 11.00बजे तक
2. निविदा/ कुटेशन खोलने की अन्तिम तिथि एवं समय — दिनांक 04.10.2018 दोपहर बाद 12.00बजे
3. अमानत राशी — 2000/– रुपये
4. निविदा /कुटेशन की मान्य अवधि — 120 दिन

मैं /हम केन्द्र में आकस्मिक मांग के आधार निम्निलिखित दरों पर वाहन उपलब्ध करवाने हेतु निम्नलिखित दरें प्रस्तुत कर रहा हूं 1–आकस्मिक माँग पर वाहन उपलब्ध करने की दर :–

AC (Seven seater)		
S. No.	**Description**	**TATA/Scorpio/Bolero/Innova**
1.	Rate per Kilometer (Rs. Per km)	
2.	Minimum charges for 100 km running	
3.	Out Station per night charges	
4.	Vehicle Registration No.	
5	Registration year	

नोट:– लिमिटेड टेण्डर/कुटेशन रजिस्टर्ड फर्म/ट्रैवल एजेन्सी/टेक्सी मालिक द्वारा ही भरी जाना चाहिए एवं आकस्मिक आधार पर उपलब्ध कराये गये वाहन का मेक वर्ष 2015 या इसके बाद का होना चाहिए ।

मैं/हम निविदा प्रपत्र में दर्शायी गई सभी नियम व शर्तो का पालन करने के लिए बचनबद्ध है। यदि मेरे/हमारे प्रतिनिधियों द्वारा निविदा प्रपत्र में दर्शायी गई सभी शर्तो या किसी आंशिक भाग का पालन नही किया जाता है। तो मेरे/हमारे द्वारा जमा कराई गई/जमानत राशि जब्त करने के लिए सहमत है ।

मैं/हम निविदा प्रपत्र में दर्शायी गई सभी नियम व शर्तो को अच्छी तरह से पढ़ व समझ लिया है। जो हमें पूर्ण रूप से स्वीकार है। तथा उनका पालन करने हेतु सहमत हूँ।

फर्म /टेक्सी मालिक का नाम मय पता ....

पूरा पता ....

पेन नं..

मोबाइल नं......................................

<u>नियम व शर्तें</u>

1. निविदायें/कुटेशन केन्द्र द्वारा जारी प्रदत्त प्रपत्र पर ही स्वीकार की जाऐगी। निविदायें /कुटेशन सील बन्द लिफाफे में दिनांक 04.10.2018 को 11.00 बजे तक या उससे पूर्व डाक द्वारा या व्यक्तिगत रूप से **प्रशासन** अनुभाग में जमा कराई जा सकती है। इसके पशचात निविदायें/कुटेशन प्राप्त नही किये जायेगे प्राप्त निविदायें/कुटेशन उसी दिन 12.00 बजे केन्द्र द्वारा गठित समिति अथवा अधिकृत अधिकारियों द्वारा खोली जायेगी। जिसमें निविदादाता अथवा उनके प्रतिनिधि उपस्थित हो सकते है। देरी से प्राप्त सशर्त तार,फेक्स इत्यादि द्वारा प्राप्त निविदायें/कुटेशन स्वीकार नहीं किये जायेगें। देरी से प्राप्त निविदा/कुटेशन के लिए केन्द्र जिम्मेदार नहीं होगा ।
2. निविदाकर्ता को निविदा प्रपत्र के साथ रुपये 2,000/— बतोर अमानत राशि ATM (POS), डिमाड ड्राप्ट/एफ डी आर / के माध्यम से इस केन्द्र के पक्ष मे जो कि CSWRI unit NTRS Garsa के नाम SBI Bhuntar Branch (003633) में देय के रुप में जमा कराना होगा बिना अमानत राशि के कोई भी निविदा स्वीकार नही की जायेगी।
3. वाहन का रजिस्ट्रेशन टी0 न0 (टेक्सी) व आल इन्डिया परमिट होना चाहिए जो कि परिवहन विभाग से किराये पर चलाने के लिए मान्य होना चाहिए। वाहन बीमा शुदा होना चाहिए।
4. आकस्मिक आधार पर उपलब्ध कराने वाले वाहनों का मेक वर्ष 2015 व इसके बाद का होना चाहिए अन्यथा निविदा/कुटेशन प्रथम दृष्टता ही अस्वीकृत कर दी जाऐगी। तथा निविदा/ कुटेशन प्रपत्र में अंकित वाहनों के संबंध में ही होनी चाहिए। केन्द्र न्यूनतम दर वाली निविदा/कुटेशन को स्वीकार करने के लिए बाध्य नही होंगे। ~~उचित दरें स्वीकार की~~ जाऐगी ।
5. आकस्मिक आधार पर ली जाने वाले गाडी का उपयोग हिमाचल प्रदेश राज्य की सीमा में एवं राज्य से बाहर की यात्रा के लिए भी किया जा सकता है।
6. निविदादाता को उनके द्वारा उपलब्ध करवाये जाने वाले वाहनों मे से न्यूनतम एक या अधिक वाहन स्वयं के नाम पंजिकृत होने वाले निविदाता को प्राथमिकता दी जाऐगी। इस संबंध में में प्रमाण पत्र स्वरूप आवश्यक दस्तावेज निविदा/कुटेशरन के सलंगन किये जाये। इस संबंध में गठित समिति/सक्षम अधिकारी महोदय द्वारी लिया गया निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।
7. वाहन के सभी वेध प्रपत्र (बीमा रजिस्ट्रैशन प्रदूषण जाँच, चालक का लाइसेन्स आदि) वाहन के साथ उपलब्ध होने चाहिए तथा इसकी एक प्रति संस्थान कार्यालय/वाहन अनुभाग मे जमा करावानी होगी।
8. वाहन की लॉग बुक चालक के पास रहेगी तथा संबधित अधिकारी से लॉग बुक मे प्रविष्ठियां प्रतिदिन दर्ज करवानी होगी।
9. यात्रा के दौरान वाहन में किसी प्रकार की टूट फूट होने, दुर्घटना होने अथवा कोई जुर्माना होने पर इसकी सम्पूर्ण जवाब देही/जिम्मेदारी वाहन मालिक की होगी । ऐसी दशा में वाहन में यात्रा कर रहें अधिकारियों/कर्मचारियों को गन्तव्य स्थान पर पहुचाने की जिम्मेदारी वाहन मालिक की होगी । वाहन में यात्रा कर रहे अधिकारियों/कर्मचारियों के साथ शालीनता का व्यवहार करना होगा।

10. यात्री विश्राम भत्ता/प्रचार मुख्यालय से प्रस्थान करने के छः घन्टे के पश्चात देय होगा। बेशर्तें वाहन का ठहराव रात्रि को मुख्यालय से बाहर हो । लगातार चलती गाडी में रात्रि विश्राम नही दिया जाऐगा।

11. वाहन के रखरखाव व इसको चलाने के लिए आवश्यक डीजल, ऑयल, मरम्मत व साधारण टोल टेक्स सभी प्रकार के व्यय तथा चालक आदि का समस्त व्यय वाहन मालिक को स्वयं करना होगा। केन्द्र द्वारा निविदा में दर्शायी गई दरों के अतिरिक्त किसी भी प्रकार का देय स्वीकार नही किया जाऐगा।

12. वाहन के दुर्घटनाग्रस्त होने पर वाहन मालिक की जिम्मेदारी होगी एवं परिषद/केन्द्र द्वारा उसका किसी प्रकार का कोई मुआवजा नही दिया जाऐगा।

13. वाहन में लगा माईलोमीटर सील किया हुआ एवं कार्यरत होना आवश्यक है तथा इसे बिना किसी अधिकृत अधिकारी की स्वीकृति के नहीं खोला जावेगा, यदि ऐसा पाया गया ता भूगतान संभव नहीं होगा।

14. यदि वाहन मालिक द्वारा अनुबंन्ध की अवधि से पूर्व अपना वाहन स्वेच्छा से हटाया जा सकता है। तो वाहन मालिक द्वारा एक माह पूर्व लिखित सूचना दी जाऐगी। लेकिन पिछली अवधि में उसका कार्य संतोषजनक पाये जाने के उपरान्त ही उसकी अमानत/जमानत राशि लौटायी जाऐगी।

15. निविदा प्रकिया में सफल रहने पर 7 दिन मे वाहन मालिक द्वारा 100/—रुपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर केन्द्र के साथ अनुबन्ध करना होगा। यदि निर्धारित तिथि तक अनुबंन्ध नही किया जाता है तो उसके द्वारा जमा कराई गयी अमानत/जमानत राशि जब्त कर ली जाऐगी। वाहन मालिक द्वारा 3 प्रतियों में बिल प्रस्तुत करने पर प्रतिमाह उचित समयबधि में बिल का भूगतान नियमनुसार किया जाऐगा।

16. यदि फर्म की सेवायें संतोषप्रद नही पायी जाती है ता अमानत/जमानत राशि जब्त की जा सकती है।

17. यह संविदा अनुबंन्ध आदेश जारी होने की तिथि से एक वर्ष के लिए प्रभावी होगा। दोनों पक्षों की सहमति से अनुबंन्ध की अवधि बढाई जा सकती है।

18. आयकर कटौती तथा केन्द्र सरकार व राज्य सरकार द्वारा लगाये जाने वाले कर/टेक्स की कटौती ठेकेदार के बिल/बिलों में से नियमनुसार की जाऐगी।

19. वाहन के संबंध में किसी प्रकार की अनियमितता या अनुचित आचारण पाये जाने पर तथा फर्म /ठेकेदार की सेवायें संतोषप्रद रूप से नहीं पाये जाने पर केन्द्र तुरन्त प्रभाव से वाहन हटा सकेगा । इस संबंध में केन्द्र द्वारा वाहन मालिक को कोई हर्जाना देय नहीं होगा। वाहन चालक द्वारा दुराचरण या मद्यपान की स्थिति में नियमानुसार कानूनी कार्यवाही की जाऐगी एवं जमानत राशि जब्त करते हुये अनुबन्ध निरस्त किया जा सकता है। जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं वाहन मालिक/फर्म/ठेकेदार की होगी।

20. दरें अकों एवं शब्दों दोनों में लिखि जायेगी। जिसमें किसी प्रकार की त्रुटि अथवा ओवर राईटिंग नही की गई हो। किसी प्रकार के संशोधन/कटिंग या अस्पष्ट लिखी हुई होगी। उस पर लघु हुई होगी। उस पर लघु हस्ताक्षर मय दिनांक करने होगें तथा निविदा प्रपत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर निविदाकर की हस्ताक्षर करने होगें ।

21. समान दरें आने पर नवीनतम वर्ष के मॉडल के वाहन को प्राथमिकता दी जाऐगी।

22. किसी भी विवाद की स्थिति में केन्द्र के समक्ष अधिकारी महोदय द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम व मान्य होगा तथा (विधिक)लीमल वाद में न्यायिक क्षेत्राधिकारी कुल्लू होगा।
23. वाहन एवं वाहन चालक से संबन्धित समस्त विधिक एवं अन्य प्रकार के दायित्वों का निरवाहन निविदादाता/ठेकेदार द्वारा किया जाऐगा।
24. नियोजित वाहन चालक के संबंध में प्रचलित श्रम कानूनों की पालना का उत्तरदायित्व संबंधित फर्म/ठेकेदार का होगा।
25. सफल निविदादाता को उपलब्ध कराये जाने वाले वाहनों के समस्त/स्वत्व हक के प्रमाण स्वरूप पंजीयन प्रमाण –पत्र देय परिवहन विभाग के टेक्स चुका कर रसीद, अनुबन्ध निष्पादन के समय प्रस्तुत करने होंगे।
26. सेवा कर सर्विस टेक्स रजिस्टेशन की प्रमाणित छाया प्रति प्रस्तुत करनी होगी, यदि निविदादाता सेवा कर प्रदाय करने की सीमा में नही आता है तो फर्म के लैटर हैड पर इस आशय की स्वयं के द्वारा घोषण पत्र निविदा पत्र के साथ प्रस्तुत करनी होगी।
27. टेन्डर की वैधता इनको खोलने की तिथि से 120 दिन तक रहेगी। जिस आपूर्तिकर्ता की दरें अनुमोदित की जावेगी। उसे उपलब्ध कराये जाने वाले वाहन की समस्त स्थितियों की सावधनीपूर्वक जॉच कर लेनी चाहिए।
28. फर्म द्वारा राज्य सरकार/केन्द्र सरकार के कार्यालय एवं अन्य प्रतिष्ठित उपकमों से प्रतिबिंधत /ब्लैक लिस्टैड नही होने का प्रमाण पत्र (स्वयं के द्वारा) संलगन किया जाना आवश्यक है।
29. यात्रा के दौरान वाहन में किसी प्रकार की खराबी होने की स्थिति में केन्द्र के अधिकारियों /कर्मचारियों को केन्द्र तक पहुचाने की जिम्मेदारी वाहन मालिक की होगी। जिसके लिए कोई अतिरिक्त देय नहीं होगा।
30. यह अनुबंध/संविधा कार्य (Work Contract Basis) कार्य आधार पद्वति पर आवंटित किया जाऐगा। अनुबन्ध समाप्ति के पश्चात् निविदादाता अथवा उसके प्रतिनिधि का केन्द्र से कोई नही रहेगा।
31. किसी भी निविदा को सम्पूर्ण अथवा आंशिक किसी भाग को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार समक्ष अधिकार सक्षम अधिकारी महोदय को सुरक्षित है।

अध्यक्ष

मैं यह प्रमाणित करता हूँ कि मैनें निविदा में दशार्यी गई सभी नियम शर्तो को भलीमान्ति व अच्छी तरह से पढ तथा समझ लिया है। मुझे निविदा में दशार्यी गई सभी नियम व शर्ते स्वीकार है। तथा मै इनका पूर्ण रूप से पालन करूगाँ।

हस्ताक्षर निविदा प्रस्तुतकर्ता
नाम.................................
पता.................................